

साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु निम्न मूल दस्तावेज या डाक्युमेंट एवं उनकी स्वयं के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में हाई स्कूल की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।
- (2) आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी के 2 फोटो। अभ्यर्थी का फोटो ID। मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। TAC।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलियर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिए। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित किये हैं।
- (4) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार के लिये)।
- (5) इस चयन के लिए पात्र निःशक्त उम्मीदवारों के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाणपत्र, जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में हो प्रस्तुत करना होगा।